सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 28, गुरूवार, शाके 1942–जून 18, 2020 *Jyaistha 28, Thursday, Saka 1942–June 18, 2020*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 15, 2020

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/43063:-इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 15.07.2003 व दिनांक 01.03.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम सं. 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील किराया अधिकरण, जयपुर का नाम परिवर्तित करते हुए अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम निर्धारित करती है तथा जिला एवं सेंशन न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय को भी अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-द्वितीय के रूप में गठित करती है तथा इनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत् जयपुर महानगर- I न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र
2.	अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-द्वितीय	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत् जयपुर महानगर- II न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र

राज्यपाल की आज्ञा से,
उज्जवल राठौड,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

3325

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।